राजस्थान सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 15/बूंदी/88-89

यह प्रमाणित किया जाता है कि आदर्श ग्राम विद्या मंदिर समिति, बड़ौदा जिला बून्दी का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक सत्ताईस माह फरवरी सन् एक हजार नौ सौ नवासी को बून्दी में दिया गया।

रजिस्ट्रार
संस्थाएं, बून्दी जिला बून्दी
(राज.)

आदर्श बाल विद्या मन्दिर समिति (संस्थान) ... राज०

1. संस्था का नाम आदर्श बाल विद्या मन्दिर समिति [illegible]
2. समिति का रजिस्टर्ड कार्यालय - [illegible] राजस्थान में होगा। एवं कार्यक्षेत्र ग्राम [illegible] तक सीमीत होगा।
3. समिति के उद्देश्य निम्न है।
   (1) भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के आधार पर [illegible] मानसिक एवं शारीरिक शिक्षा संस्कृत व हिन्दी एवं [illegible] माध्यम से प्रदान करने की ~~[illegible]~~ व्यवस्था करना।
   (2) उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह समिति आदर्श बाल विद्या मन्दिर की स्थापना एवं संचालन वर्तमान समय में करेगी तथा आवश्यकतानुसार ऐसी अन्य संस्थाओं के छात्रावास के प्रकोष्ठ आदि [illegible] की स्थापना करेगी
   उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं होगा।
4. कार्यकारणी समिति का कार्यभार नियमानुसार कार्यकारिणी को सौंपा गया है जिसमें प्रथम सदस्य निम्न है

क्र. सं.	नाम	पिता का नाम	पेशा व पता	पद	हस्ताक्षर
1	श्री रामनिवास जी	श्री पाधूलाल	कृषि, [illegible] (म.पू. जिलाध्यक्ष)	[illegible]	राम[illegible]
2	श्री भगवान दत्त	श्री नाथूलाल	कृषि ग्राम [illegible]	[illegible]	भगवान [illegible]
3	श्री नारायण	श्री गेंदीलाल	कृषि ग्राम [illegible]	[illegible]	नारायण
4	श्री चौथमल शर्मा	श्री चुन्नीलाल	कृषि ग्राम [illegible]	[illegible]	[illegible]
5	श्री जगदीश प्रसाद	श्री द्वारकालाल	दुकानदार ग्राम [illegible]	[illegible]	जगदीश [illegible]

सहन हस्ताक्षर कर्ता जिनके नाम पेशा और पता उनके नाम के आगे लिखे है समिति के विधान पत्र के अन्तर्गत इसको संस्था के रूप में संगठित होने व इसे रजिस्टर्ड कराने के इच्छुक है -

सेक्रेटरी
श्री नारायण

कोषाध्यक्ष
[illegible]

[illegible]
अध्यक्ष

(3)

क्र सं	नाम	पिता का नाम	पेशा	पता	पद	हस्ताक्षर
1.	श्री कैलाशचन्द्र जी	S/. गणेशलाल	कृषि	ग्राम बल्दन		[signature]
2-	श्री रमेश कुमार सनाढ्य	S/. श्री रामनारायण जी	अध्यापक	ग्राम बल्दन		[signature]
3-	श्री नन्दकिसोर सैनी	S/. श्री ग्मारसीलाल	कृषि	ग्राम बल्दन		नन्दकिशोर
4-	श्री देवी दत्त जी	S/. श्री शिवकरण जी	अध्यापक	ग्राम बल्दन		[signature]
5-	श्री नाथूलाल	S/. श्री माधोलाल जी	कारीगर	ग्राम बल्दन		नाथूलाल
6-	श्री गोपाललाल	S/ श्री बजरंगदास जी	दुकानदार	ग्राम बल्दन		[signature]
7-	श्री लक्ष्मीनारायण	S/ श्री मोतीलाल जी गुर्जर	कृषि	ग्राम धनातरी		लक्ष्मीनारायण
8-	श्री चौथमल गुर्जर	S/ श्री देवीलाल	कृषि	ग्राम धनातरी		चौथमल
9-	श्री मोड़ुलाल	S/ श्री गंगाराम जी	कृषि	ग्राम धनातरी		मोड़ुलाल
10-	श्री देवलाल	S/ श्री पाथूलाल जी	रिटायर्ड नायब सा०	ग्राम बल्दन		[signature]
11-	श्री नाथूलाल	S/ श्री सुखदेव जी	पटवारी	ग्राम बल्दन		[signature]

हम हस्ताक्षर कर्ता प्रमाणित करते है कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता को हम जानते है और इन्होने हमारे सामने हस्ताक्षर किये है । हम यह भी प्रमाणित करते है कि हम उक्त संस्था के सदस्य नही है है ।

कृष्णावतार शर्मा
हस्ताक्षर
ग्राम व पो० बल्दन
जिला बून्दी (राज०)

चन्द्रप्रकाश शर्मा
[signature]
हस्ताक्षर
ग्राम व पो० बल्दन
जिला बून्दी (राज०)

सत्यफोटोप्रति
[signature] 8.4.2002
रजिस्ट्रार
संस्थाएं, बून्दी जिला, बून्दी
(राज०) श्री नारायण

[signature]
अध्यक्ष

जगदीश प्रसाद

15/बून्दी/88-89
1 संस्था का पता: ग्राम बल्दन
2 संस्था का नाम: आदर्श लोक शिक्षा समिति बल्दन
3 ... निवास ...
4 दस्तावेज ...: कुल पृष्ठ
5 दिनांक पंजीयन: 27-2-89
6 हस्ताक्षर रजिस्ट्रार: [signature]

आदर्श बाल विद्या मन्दिर समिति बरूंधन । बून्दी । राज0 (4)

विधान। नियमावली ।

1- संस्था का नाम - इस संस्था का नाम आदर्श बाल विद्या मन्दिर समिति बरूंधन ।राज0।

2- पंजीकृत कार्यालय - इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय बरूंधन जिला बून्दी है तथा जिसका कार्य क्षेत्र बरूंधन तक सीमित रहेगा ।

3- संस्था का उद्देश्य - ।1। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के आधार पर बौद्धिक मानसिक एवं शारीरिक शिक्षा संस्कृत व हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम से प्रदान करने की व्यवस्था करना ।

।2। उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह समिति आदर्श विद्या मन्दिर की स्थापना एवं संचालन वर्तमान समय में करेगी तथा आवश्यकतानुसार ऐसी अन्य संस्थाओं छात्रावास प्रकल्प आदि की भी स्थापना करेगी । उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं होगा ।

4- सदस्यता - निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे ।

।1। संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करता हो ।

।2। वयस्क हो ।

।3। पागल दिवालिया न हो ।

।4। संस्था के उद्देश्यों में रूचि रखता हो ।

।5। संस्था के हितों को सर्वोपरि समझते हो ।

5- सदस्यों का वर्गीकरण- संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत किए जा सकेंगे ।

।1। संरक्षक एवं आजीवन सदस्य

।2। माननीय एवं आजीवन सदस्य

।3। साधारण सदस्य

।4। विशिष्ट सदस्य

।5। आजीवन सदस्य

6- सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा - ।1। आदर्श बाल विद्या मन्दिर बरूंधन के कोष में कम से कम 500/-रु0 सहायता स्वरूप एक साथ देवें ।

अध्यक्ष

क्रमशः 2 :

(5)

तथा जिनकी सदस्यता कार्यकारी मण्डल को स्वीकार हो। यह संरक्षक सदस्य कहे जावेगे। एवं आजीवन सदस्य होंगे।

§2§ कम से कम 200/- रुपये एक साथ देने वाले सज्जन जिनकी सदस्यता कार्यकारी मण्डल को स्वीकार हो। माननीय सदस्य कहे जावेगे एव आजीवन सदस्य होंगे।

§3§ कम से कम 51/- रुपये प्रति वर्ष एक साथ देने वाले एवं जिनकी सदस्यता कार्यकारी मण्डल को स्वीकार हो वह साधारण सदस्य होंगे। इनकी सदस्यता आगामी वर्ष हेतु वार्षिक शुल्क जमा न कराने की स्थिति में चालू वर्ष की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जावेगी

§4§ ऐसे सज्जन जो समाज में विशिष्ठ महत्वपूर्ण स्थिति अथवा योग्यता के कारण समिति का उद्देश्य पूर्ति के कार्य में सिद्ध हो सकते हो उनको विनियुक्त सदस्य के नाम से कार्यकारी मण्डल द्वारा मनोनीत किया जा सकेगा। ऐसे सदस्यों की संख्या पैरा §1§ §2§ §3§ द्वारा प्राप्त सदस्यता की कुल संख्या के 1/3 भाग से अधिक नही होगी इनका कार्यकाल कार्य कारी मण्डल के नियुक्त आदेश में निहित अवधि तक अथवा वर्ष के अंत तक जो भी पूर्व हो सीमित होगा।

§5§ साधारण सभा किसी व्यक्ति विशेष को जो संस्था के कार्य की दृष्टि से सहायक हो अथवा संस्था में सेवारत हो और कार्यकारी मण्डल उनके लिए साधारण सभा का सदस्य बनाने लिए प्रस्ताव करे और उसे स्वीकार करे तो वह साधारण सभा की आजीवन सदस्य घोषित हो सकेगा।

7- सदस्यता से निष्कासित - उपरोक्त का सदस्यो में से कोई सदस्य त्याग पत्र दे देता है और कार्यकारी मण्डल उसे अस्वीकार कर देता है अथवा कोई सदस्य अनैतिक अपराध के कारण न्यायालय द्वारा दण्डित हो जाता है अथवा इस संस्था के

क्रमश 3

अध्यक्ष

§3§

हितो के विपरीत कार्य करने के कारण आजीवन सदस्यों का बहुमत उसे सदस्यता से मुक्त करने का प्रस्ताव स्वीकार लेता है तो वह सदस्यता से मुक्त समझा जायेगा ।

8- साधारण सभा - संस्था के उपनियम संख्या पांच में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर ही साधारण सभा का निर्माण करेंगे

9- साधारण सभा के कृत्व्य एवं अधिकार :

साधारण सभा के निम्न कृत्वय एवं अधिकार होंगे ।

§क§ आदर्श बाल विद्या मन्दिर बन्धन का नीति निधारित करना §

§ख§ कार्यकारी मण्डल के अध्यक्ष , उपाध्यक्ष , मंत्री , सह मंत्री एवं कोषाध्यक्ष का चुनाव करना

§ग§ प्रति वर्ष संस्था के आय व्यय के ब्योरो की जाचं की व्यवस्था करना एवं जांच रिपोर्ट पर विचार कर निर्णय लेना ।

§घ§ साधारण सभा की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार करना आवश्यक होगा ।

§ङ- सदस्यों की बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व देना अवश्य होगा ।

§ङ§ संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधित परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना रजिस्ट्रार के कार्यलय में फायल कराया जा कर प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करना ।

10• साधारण सभा की बैठक - । साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनीवार्य होगी । लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष मंत्री द्वारा कभी भी विशेष सभा बुलाई जा सकेगी ।

2 साधारण सभा का कोरम कुल सदस्यों के 1/3 होगा ।

3 बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व आवश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी ।

क्रमश : 4

श्री नारायण

जगदीश प्रसाद

Vinita ...

अध्यक्ष

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुन: साथ दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत कि जा सकेगी । ऐसी स्थगित बैठक मे कोरम की कोई आवश्यकता हन नहीं होगी । लेकिन विचारणीय विषय ही होंगे हो जो पूर्व ऐजेन्ट में थे

5- संस्था 1/3 अथवा सदस्यों से जो भी कम हो के लिखित आवेदन करने पर मंत्री / अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा । निर्धारित अवधि में अध्यक्ष / मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 11 सदस्यों में से कोई भी असदस्य नोटिश जारी कर सके- सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक सर्वमान्य होंगे

11 - कार्यकारणी मण्डल - संस्था के कार्य के सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्ध कार्यकारणी का गठन किया जायेगा जीसके पदाधिकारी स व सदस्य निम्न प्रकार होंगे ।

1- अध्यक्ष । 2- उपाध्यक्ष ।

3- मंत्री । 4 - कोषाध्यक्ष

5- सह मंत्री

उक्त पदो के अतिरिक्त अन्य पद या परिवर्तन किये जाये यहा अंकित करे क्रम रखना चाहे तो कर सकेंगे इस प्रकार प्रबन्ध प्रबन्धकारणी में पदाधिकारी 6 व सदस्य 5 कुल 11 सदस्य होंगे

12 कार्यकारणी का निर्वाचन - 1- संस्था की प्रबन्धकारणी का चुनाव दो वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा के द्वारा किया जावेगा

-क्र म स.

श्री नारायण

जगदीश प्रसाद

अध्यक्ष

2- चुनाव प्रत्येक अप्रत्येक प्रणाली द्वारा किया जावेगा
3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारणी द्वारा कि जावेगी

13 कार्यकारणी के अधिकार और कृत्य -

संस्था की कार्यकारणी के निम्न लिखित अधिकार एवं कर्तव्य होंगे ।

1- सदस्य बनना व निष्कासित करना
2- वार्षिक बजट - तैयार करना
3- संस्था की सम्पत्ति की संरक्षण सुरक्षा करना
4- वैतनिक कर्मचारियों को नियुक्त करना तथा उनके वैतन व भत्ते को निर्धारित करना
5- साधारण सभा द्वारा पारित नियमों की क्रियान्वित करना ।
6- कार्य व्यवस्था हेतु समिति-व- उप समिति या बनाना
7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो करना

14- कार्यकारणी की बैठक -

1- कार्यकारणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठक करना अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता होने पर अध्यक्ष मंत्रि द्वारा कभी बुलाई जा सकेगी
2- बैठक का कोरम प्रबन्धकारणी को कुल संख्या के के आधे से अधिक होगा
3 बैठक की सूचना प्राय : सात दिन ह पहले दि जावेगी अत्यन्त आवश्यक बैठक की सूचना परिचालक कम समय में भी दी जा सकती है ।
4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी । इसी स्थिति बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचार णिय विषय होगे जो पूर्व ऐजेन्ट में थे ।
ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्ध कारणी उपस्थिती अनिवार्य है इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में करना आवश्यक है होगा ।

श्री नारायण
जगदीश प्रसाद

अध्यक्ष

6

15- प्रबन्धकारणी व पदाधिकारियों के अधिकार व कृत्य

- संस्था की, ~~प्रबन्धकस्मिथ~~ कारणी के प्रधाधिकारियों के अधिकार व कृत्य निम्नन प्रकार होंगे

1- अध्यक्ष

1- बैठक की अध्यक्षता करना

2- मत. बराबर आने पर निर्णायक मत देना ।

3- बैठके आहुत करना

4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना

5- संविधान तथा अन्य दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करना,

6 अन्य

2 उपाध्येक्ष

1- अध्येक्ष की अनुपस्थिती में अध्यक्ष के समस्त अधिकारो का प्रयोग करना

2- प्रबन्धकारणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारो का प्रयोग करना

3- मंत्री
=====

1- बैठके आहुत करना

2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना

3- आय व्यय पर नियन्त्रण करना

5- वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वैतन व यात्रा बिल आदि पास करना

5- ~~संस्था के~~ संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजो पर संस्था की और हस्ताक्षर करना

6- पत्र व्यवहार करना

7- सम्पति ~~की~~ की सुरक्षा हेतु अन्य कार्य जो आवश्यक हो

~~4-सचिव-के-~~ सह मंत्री
===========

1- सचिव के अनुपस्थित में सचिव के पद के समस्त कार्य संचालन करना है

2- अन्य कार्य जो प्रबन्ध ~~कार्य~~ कारणी / एव सचिव द्वारा सौपे जावे

श्री नारायण

जगदीश प्रसाद

अध्यक्ष

6• पत्र व्यवहार करना ।

7• सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

8•

3- ~~उपमंत्री~~ कोषाध्यक्ष -

1- वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना ।

2- दैनिक लेखो पर नियंत्रण रखना ।

3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना ।

4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना ।

16- संस्था का कोष - • संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा

1- चन्दा

2- शुल्क

3- अनुदान

4- सहायता

5- राजकीय अनुदान

6- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीय कृत बैंक सुरक्षित की जावेगी ।

~~7~~-

2• अध्यक्ष सचिव/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के जिसमें सचिव के हस्ताक्षर अनिवार्य हो से बैंक से लेन-देन सम्भव होगा ।

17- कोष सम्बन्धी विशेषा- • संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार
-धिकार निम्न पदाधिकारियों संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे ।

~~18-- संस्था का अंकेक्षण -~~

1- अध्यक्ष - 500

2- मंत्री - 500

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा ।

18• संस्था के का अंकेक्षण - संस्था के समस्त लेखो का आर्थिक अंकेक्षण कराया जावेगा,

श्री नारायण

जगदीश प्रसाद

[signature]

अध्यक्ष

(11)

19.- संस्था के विधान में परिवर्तन

संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन अथवा संशोधित किया जा सकेगा जो रा०स० रजिष्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुसार होगा

20. संस्था का विघटन

यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति नगद का निस्तारण प्रबन्ध समिति के निर्णयानुसार किया जावेगा । लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिष्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी ।

21. संस्था के लेखो जोखो का निरीक्षण -

रजिष्ट्रार संस्था में बून्दी को संस्था के निरीक्षण का पूर्ण अधिकार होगा व पूर्ण रूप उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी ।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रावधान नियमावली आदर्श बाल विद्या मन्दिर, बस्धंन की सही व सत्य प्रतिलिपि हैं ।

सूर्यनारायण

अध्यक्ष — मंत्री — कोषाध्यक्ष

सत्य फोटो प्रति

रजिस्ट्रार
संस्थाएं, बून्दी जिला, बून्दी
(राज०)

पंजि. नं. 15/88-89 श्री गणेशाय नमः ☎ 0747-2330520 (O)

आदर्श बाल विद्या मन्दिर समिति

बरूंधन, जिला-बून्दी (राज०)

क्रमांक : विधान संशोधन दिनांक : 17.4.06

नियम	वर्तमान उपनियम	संशोधित उपनियम
२	समिति का कार्यक्षेत्र ग्राम बरूंधन तक सीमित होगा।	समिति का कार्यक्षेत्र जो ग्राम बरूंधन तक सीमित था उसे राजस्थान (राज्य) तक किया जाता है।
३.	समिति के उद्देश्य निम्न है 1. भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के आधार पर बौद्धिक, मानसिक एवं शारीरिक शिक्षा संस्कृत व हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम से प्रदान करने की व्यवस्था 2. उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यह समिति आदर्श बाल विद्या मन्दिर की स्थापना वर्तमान समय में करेगी तथा आवश्यकतानुसार ऐसी अन्य संस्थाओं छात्रावासों प्रकल्पों आदि की भी स्थापना करेगी। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं होगा।	समिति के उद्देश्य निम्न है - 1. भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के आधार पर बौद्धिक, सामाजिक मानसिक एवं शारीरिक शिक्षा संस्कृत व हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम से प्रदान करने की व्यवस्था। 2. उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यह समिति आदर्श बाल विद्या मन्दिर की स्थापना वर्तमान समय में करेगी तथा आवश्यकतानुसार ऐसी अन्य संस्थाओं, छात्रावासों प्रकल्पों आदि की भी स्थापना करेगी। 3. केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं व परियोजनाओं में सहयोग प्रदान करना। 4. जल, मृदा पशु, पर्यावरण का संरक्षण एवं समुचित उपयोग हेतु कार्य करना। 5. कम्प्यूटर शिक्षा का ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार-प्रसार व ज्ञान प्रदान करना। 6. शिक्षण, प्रशिक्षण व शोध संस्थानों की स्थापना करना। 7. वंचित वर्ग, मूक बधिर, विशेष आवश्यकता वाले व बाल श्रमिक बालक-बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था व उनके जीवन स्तर में सुधार हेतु कार्य करना। 8. नैतिक, योग व स्वास्थ्य शिक्षा हेतु कार्य करना। 9. निर्धनता उन्मूलन व ग्रामीणों के रहन सहन में उन्नयन हेतु कार्य करना।

लगातार -

रजिस्ट्रार संस्थाएं बूंदी (stamp)

(signature) अध्यक्ष आदर्श बाल विद्या मन्दिर समिति बरूंधन जिला बून्दी	(signature) कोषाध्यक्ष आदर्श बाल विद्या मन्दिर समिति बरूंधन जिला बूंदी (राज०)	(signature) सचिव आदर्श बाल विद्या मन्दिर समिति बरूंधन जिला बूंदी (राज०)

रजि. नं. 15/88–89 श्री गणेशाय नमः ☎ 0747 - 2330520 (O)

आदर्श बाल विद्या मन्दिर समिति

बरूंधन, जिला-बून्दी (राज०)

क्रमांक : दिनांक : ....

नियम	वर्तमान उपनियम	संशोधित उपनियम
		10) अनु.ज.जा. अ.जा. व पिछड़ी जाति के बालक - बालिकाओं हेतु निशुल्क छात्रावासों का संचालन करना।
		11) महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम में सहयोग करना।
		12) शिक्षा सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य करना
		उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं होगा।

(रजिस्ट्रार संस्थाएं ... जिला ... — मुहर)

[हस्ताक्षर]
अध्यक्ष
आदर्श बाल विद्या मन्दिर समिति
बरूंधन जिला बून्दी

[हस्ताक्षर]
आदर्श बाल विद्या मन्दिर समिति
बरूंधन जिला बूंदी (राज०)

[हस्ताक्षर] श्रीनारायण
सचिव
आदर्श बाल विद्या मन्दिर समिति
बरूंधन जिला बूंदी (राज०)

संस्था के उपनियम संख्या 2 कार्यक्षेत्र तथा उपनियम संख्या 3 उद्देश्यों में अंकित संशोधित प्रावधान को यथास्थान आज दि० 22-5-06 को पंजीकृत किया जाता है।

[हस्ताक्षर]
रजिस्ट्रार
संस्थाएं बून्दी जिला, बून्दी
(राज.)

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाऐं बून्दी जिला बून्दी (राज)

क्रमांक 969 दिनांक 22/5/06

श्री नारायण
सचिव, आदर्श बाल विद्या मंदिर समिति नैनवा
जिला बून्दी

विषय :- संशोधन पंजीकृत करने बाबत

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक 548 दि 2-5-06

प्रासंगिक पत्र से प्रस्तुत किया गया आदि के उप में प्रस्तावानुसार संस्था के उपनियम संख्या 2 कार्यक्षेत्र में तथा 3 उपनियम संख्या 33 में संशोधित प्रावधान दिनांक 22-5-06 को में पंजीकृत किये जाकर प्रतिलिपि संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपि
किता 2x2

रजिस्ट्रार
संस्थाऐं बून्दी जिला, बून्दी
(राज.)

रजि, 15/Bundi/88/89 श्री गणेशाय नमः फोन नं. 0747-2435520

आदर्श बाल विद्या मन्दिर समिति

बरून्धन जिला बून्दी राज.

क्रमांक :-

दिनांक:-

दिनांक 20.5.07 को प्रातः 10.00 बजे समिति कार्यालय मे समिति के चुनाव सम्पन हुऐ जिनकी सूचना निम्नानुसार है।

क्रं	नाम	पिता का नाम	पेशा व पता	पद	हस्ताक्षर
1	श्री रामचन्द्र	श्री जयकिशन	कृषि ग्राम सीतापुरा फैक्ट्री पो. सीतापुरा	अध्यक्ष	रामचन्द्र
2	श्री भगवानदत्त	श्री नाथूलाल	कृषि ग्राम व पो.बंरुधन	उपाध्यक्ष	[illegible]
3	श्री गजानन्द गुर्जर	श्री गेन्दीलाल	स.सेवा ग्र.धनातरी पो.बरुंधन	सचिव	[illegible]
4	श्री जगदीश प्रसाद	श्री द्वारकालाल	व्यापारी पो. बरुंधन	कोषाध्यक्ष	[illegible]
5	श्री श्रीनारायण	श्री गेन्दीलाल	कृषि ग्र.धनातरी पो.बरुधन	सहमंत्री	श्रीनारायण

रामचन्द्र
अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

सचिव

प्रमाणित

रजिस्ट्रार
संस्थाऐ बून्दी जिला, बून्दी
(राज.)

श्री रामचन्द्र

श्री जगदीश प्रसाद

श्री भगवानदत्त

श्री नारायण